न्यायालय :- प्रथम जिला न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी : उमाशंकर अग्रवाल)

एम.जे.सी. नंबर -98/2024
फाईलिंग नम्बर-470/2024
सी.एन.आर.नम्बर एम.पी.41010025402024

भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना निर्देशक श्री एम.एल पुर्बिया,परियोजना कार्यान्वय इकाई उज्जैन, बी-21/9, महानंदा नगर उज्जैन म.प्र.

विरूद्ध

01.हैदरअली पिता नूर मोहम्मद

02. सागरबाई पति नूर मोहमद मृत वारिसान-

02-अ-हैदरअली पिता नूर मोहम्मद निवासीगण पूर्वाल्डा तहसील व जिला देवास म.प्र.

03-म.प्र. सचिव राजस्व विभाग भोपाल म.प्र.

04-आर्बिट्रेटर नेशनल हाईव द्वारा कलेक्टर देवास म.प्र.

-:: आदेश ::-

10-08-2026

1. वेदक की ओर से श्री मितेश जैन, अधिवक्ता उपस्थित।

2. अनावेदक क्रमांक 01 के विधिक वारिसान क्रमांक-01-अ एवं 1-बी की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसौदिया अधिवक्ता उपस्थित।

3. इस आदेश द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र धारा 34 (2) माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत दिया गया आवेदन-पत्र को पुनर्जीवित किए जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन-पत्र का निराकरण किया जा रहा है।

4. आवेदन-पत्र के निराकरण हेतु निर्विवादित तथ्य है कि वर्तमान में हितग्राही/उत्तरदाता की भूमि का अधिग्रहण आवेदक/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रोड़ निर्माण हेतु किया गया था। अधिसूचना जारी होने के उपरांत अधिग्रहण अधिकारियों के द्वारा इस प्रकरण में अवार्ड पारित किया गया जिसे कि हितग्राही द्वारा माध्यस्थम के समक्ष चुनौती दी गयी थी। माध्यस्थम के द्वारा दिनांक 10.11.2022 को माध्यस्थता अवार्ड पारित किया गया था।

5. वर्तमान याचिकाकर्ता/ एनएचएआई के द्वारा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत उक्त अवार्ड को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है जो कि **एम.जे.सी. ए.व्ही. नंबर 41/2023** के रूप में दर्ज किया गया था जिसके उपरांत कलेक्टर देवास ने दिनांक 29.04.2022 को एक आदेश पारित कर अपर कलेक्टर देवास को निर्देशित किया था कि वे माध्यस्थम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की धारा

3(जी)(5) के तहत उनके द्वारा दिये गए सभी मामलों को पेश करें जिससे कि राजस्व विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 के प्रकाश में उनकी समीक्षा की जा सके। उक्त आदेश का प्रभाव यह
था कि माध्यस्थता के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की धारा 3(जी)(5) के तहत कलेक्टर को सौंपी गयी शिकायतें उन्हें नहीं सौंपी जा सकती थी। उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि स्वामियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन नंबर 8351/2023 द्वारा चुनौती दी गयी थी, जिसे दिनांक 26.04.2023 को खारिज किया गया।

6. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य मामले में पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर की थी जो खारिज कर दी गयी।

7. इस प्रकरण में **एम.जे.सी. ए.व्ही. नंबर 41/2023** में याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन-पत्र वापस लेने के लिए एक आवेदन-पत्र इस फोरम में दायर कर दिया था कि कलेक्टर देवास ने स्वयं अपर कलेक्टर के न्यायालय से सभी रिकॉर्ड माँग लिए हैं और कार्यवाहियां पुनर्जीवित कर दी हैं। द्वितीय जिला न्यायाधीश देवास ने **एम.जे.सी. ए.व्ही. नंबर 41/2023** तथा पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 द्वारा याचिका वापस लेने के आवेदन-पत्र को स्वीकार कर तदानुसार माध्यस्थम/अपर कलेक्टर देवास के दिनांक 31. 10.2022 के अवार्ड को चुनौती देने वाली याचिका जो धारा 34 (2) के तहत प्रस्तुत की गयी थी, को वापस ले लिया गया था।

8. याचिकाकर्ता ने माध्यस्थता अवार्ड दिनांक 10.11.2022 को चुनौती देने के संबंध में पूर्व में जो आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 34(2) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम जो पूर्व में प्रस्तुत किया गया था और जो याचिकाकर्ता ने वापस लिया था उसे पुनर्जीवित करने के लिए यह याचिका प्रस्तुत की गयी थी।

9. उपरोक्त याचिका का प्रतिउत्तरदाता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा याचिका स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

10. जैसा कि उपरोक्त मामले के अविवादित तथ्यों से प्रकट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की धारा 3(जी)(एच) के तहत अपर कलेक्टर ने माध्यस्थ के रूप में जो अवार्ड पारित किया था, उसे चुनौती दी गयी थी, हालांकि उसे न्यायालय में वापस लिए जाने की अनुमति दी गयी है तथा वापस लेने में जो याचिका स्वीकार की गयी है। याचिका वापस लिए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गयी थी कि ‘‘जहां तक आवेदक द्वारा कलेक्टर के अवार्ड को पुनः चुनौती देने के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रश्न है वहाँ तक आवेदक ततसंबंध में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

11. इस प्रकार न्यायालय द्वारा माध्यस्थम के अवार्ड को चुनौती देने का अधिकार पूर्व में सुरक्षित रखा गया था।

12. चूँकि किसी भी निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का वैधानिक अधिकार है इसलिए याचिकाकर्ता के पास माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियिम की धारा 34(2) के तहत जिला न्यायालय के समक्ष अपर कलेक्टर के द्वारा पारित माध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने का वैधानिक अधिकार था। क्योंकि याचिकाकर्ता ने **एम.जे.सी. ए. व्ही. नंबर 41/2023** में उक्त अधिकार का प्रयोग किया गया किंतु उसे उसके नियंत्रण के बाहर होने की परिस्थितियों में उसे वापस लेना पड़ा था।

13. चूँकि न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों में जबकि समानान्तर कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी, इस कारण दो समानान्तर कार्यवाहियां प्रचलन में नहीं रह सकतीं, याचिकाकर्ता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका को वापस लिए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं था। चूँकि इस न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत पुनः याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गयी है। अतः उक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को माध्यस्थम द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती देने का वैधानिक अधिकार होने तथा उक्त अधिकार का प्रयोग किए जाने से मात्र इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि पूर्व में प्रस्तुत याचिका उसके द्वारा सशर्त वापस ले ली गयी थी। अतः इस कारण यह पुनर्विचार याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

14. अतः परिणामस्वरूप याचिका **स्वीकार** की जाती है तथा
द्वितीय जिला न्यायाधीश के **एम.जे.सी. ए.व्ही. नंबर 41/2023** आदेश दिनांक 13.02.2023 को वापस लिया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु पुनर्स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

15. सी.आई.एस. में प्रकरण में पुनर्स्थापित किया जावे।

16. आदेश की प्रति **एम.जे.सी. ए.व्ही. नंबर 41/2023** प्रकरण में संलग्न की जावे।

17. **एम.जे.सी. ए.व्ही. नंबर 41/2023** की सुनवाई हेतु प्रकरण दिनांक 22.08.2026 को नियत किया जाता है।

18. सी.आई.एस. में परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

UMASHANKAR AGRAWAL
Digitally signed by UMASHANKAR AGRAWAL
Date: 2026.08.10 17:52:51 +0530

(उमाशंकर अग्रवाल)
प्रथम जिला न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)